राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्याः - 1540/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
सत्यवीर जाखड न्यायालय परिसर] नई मण्डी] घडसाना] श्री गंगानगर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री विष्णुकान्त शर्मा, वकील उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 27-06-2017 के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती नीलम करवा के विरूद्ध शिकायती पत्र दिनांक 19-07-2017 व 27-06-2017 पर की गई कार्यवाही की 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 06-09-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 19-07-2017 प्रेषित कर विनिश्चय से अवगत करा दिया गया तथा आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत निरस्त कर दिया गया। प्रथम अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 06-09-2017 से प्रथम अपील खारिज की जा कर राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय को उचित माना है। अतः सूचना दिया जाना शेष नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 05-04-2018 पेश किया है जिसके साथ प्रथम अपील निर्णय की प्रति संलग्न की है एवं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के निर्णय दिनांक 31-08-2017 कैनरा बैंक बनाम सी. एस. श्याम व अन्य की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त